न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर,

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 03/2026
(सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 8/2026)

राजस्थान सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार यादव, प्रवर्तन निरीक्षक ....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री मदन सिंह निवासी मकान नं0 641 गली नं0 3, सीसी रोड, हरिओम कॉलोनी, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर।
2. श्री मोहम्मद जमाल अब्बास खान (वैन ड्राइवर) सरकारी स्कूल के पास, पानी की टंकी, तारागढ अजमेर
3. श्री सैयद सैफ अब्बास (खादिम) (वैन मालिक) दरगाह अजमेर

.........**अप्रार्थी**

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित ;... **1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी** **पैरोकार सरकार**
2. श्री रविन्द्र सिंह राठौड़ **अभिभाषक अप्रार्थी सं. 01 लगायत 03**

—:आदेश:— **दिनांक 13.03.2026**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.12.2025 को सांय 7.00 बजे एस.एच.ओ पुलिस थाना रामगंज अजमेर श्री अनिल गुजरात ने गली नं0 3 हरिओम कॉलोनी, चन्द्रवरदाई नगर में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना मोनिका जाखड, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर को दी। जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर के निर्देशानुसार महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रकाश देवनानी वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला रसद अधिकारी अजमेर मौके पर पहुँचे। मौके पर एस.एच.ओ रामगंज श्री अनिल गुजरात मय जाप्ता उपस्थित मिले। मौके पर (मकान नं0 641 गली नं0 3, सीसी रोड, हरिओम कॉलोनी, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर) एक वैन खडी जिसका नम्बर RJ-01-UB-1394 है। मौके पर घर के सामने एक टिनशेडनुमा स्थान है जहॉ मुख्य दरवाजे के बीच एक रिफिलिंग मशीन जिसका एक शिरा पाईप के माध्यम से घरेलु गैस सिलेण्डर से जुडा पाया एवं दूसरा शिरा दरवाजे के बाहर सड़क पर खडी वैन जिसका नम्बर RJ-01-UB-1394 के एलपीजी टैंक के रिफिलिंग लिड से पाईप के माध्यम से जुडा पाया। रिफिलिंग मशीन व उक्त सिलेण्डर के पास ही तीन घरेलु सिलेण्डर पाए गए। अप्रार्थीगण का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3(1)(2) एवं (3) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 13.3 किग्रा एलपीजी, 01 इलेक्ट्रिक मशीन एवं 01 वैन नम्बर RJ-01-UB-1394 को राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब नोटिस प्रस्तुत कर बहस चाहने पर उभयपक्ष को सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 25.12.2025 को सांय 7.00 बजे एस.एच.ओ पुलिस थाना रामगंज अजमेर श्री अनिल गुजरात ने गली नं0 3 हरिओम कॉलोनी, चन्द्रवरदाई नगर में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना मोनिका जाखड, जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर को दी। जिला रसद अधिकारी (प्रथम) अजमेर के निर्देशानुसार महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रकाश देवनानी वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला रसद अधिकारी अजमेर मौके पर पहुँचे। मौके पर एस.एच.ओ रामगंज श्री अनिल गुजरात मय जाप्ता उपस्थित मिले। मौके पर (मकान नं0 641 गली नं0 3, सीसी रोड, हरिओम कॉलोनी, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर) एक वैन खड़ी जिसका नम्बर RJ-01-UB-1394 है। मौके पर घर के सामने एक टिनशेडनुमा स्थान है जहॉ मुख्य दरवाजे के बीच एक रिफिलिंग मशीन जिसका एक शिरा पाईप के माध्यम से घरेलु गैस सिलेण्डर से जुडा पाया एवं दूसरा शिरा दरवाजे के बाहर सडक पर खडी वैन जिसका नम्बर RJ-01-UB-1394 के एलपीजी टैंक के रिफिलिंग लिड से पाईप के माध्यम से जुडा पाया। रिफिलिंग मशीन व उक्त सिलेण्डर के पास ही तीन घरेलु सिलेण्डर पाए गए। मौके पर जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है :–

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.(KG)	G.W. (KG)	N.W.GAS (KG)
1	243094	BPCL	15.8	15.8	0
2	098608	BPCL	15.8	16.1	0.3
3	805755	BPCL	16.1	29.1	13
4	47967पी	BPCL	15.7	15.7	0

मौके पर नजदीकी गैस एजेन्सी ब्लू फ्लेम गैस एजेन्सी को सूचित किया गया। ब्लू फ्लेम गैस एजेन्सी के कार्मिक विष्णु शर्मा मौके पर पहुँचे। उनकी उपस्थिति में गैस सिलेण्डरों का वजन कराया गया एवं कम्पनी का नाम, एस.आर. नम्बर, टियर वेट, ग्रोस वेट, नेट वेट फर्द में दर्ज किये गये। मौके पर वाहन चालक मोहम्मद जमाल अब्बास खान मिला जिसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह वैन RJ-01-UB-1394 सैयद सैफ अब्बास की है जो सरकारी स्कूल के पास, पानी की टंकी, तारागढ अजमेर के निवासी है एवं श्री सैयद अब्बास दरगाह अजमेर के खादिम है। वैन वाहन चालक मोहम्मद जमाल अब्बास खान ने बताया कि वह करीब तीन महीने से श्री सैयद सैफ अब्बास के यहॉ वैन चला रहा है और उन्ही के कहने पर वह वैन में गैस रिफिलिंग के लिए यहां मौके पर आया था। मौके पर घर के मालिक प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री मदन सिंह उपस्थित मिले जिन्होनें पूछताछ में बताया कि वह ब्लैक में घरेलु गैस सिलेण्डर खरीदता है एवं वैन इत्यादि में गैस रिफिलिंग का कार्य करता है। मौके पर गैस रिफिलिंग मशीन एवं 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 13.3 किग्रा एलपीजी को कब्जेराज लेकर ब्लू फ्लेम गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री विष्णु शर्मा को सुपुर्द किया गया। मौके पर मिली वैन जिसका नम्बर RJ-01-UB-1394 को कब्जेराज लेकर पुलिस थाना रामगंज को सुपुर्द किया। अप्रार्थीगण का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3(1)(2) एवं (3) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

कर जब्तशुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 13.3 किग्रा एलपीजी, 01 इलेक्ट्रिक मशीन एवं 01 वैन नम्बर RJ-01-UB-1394 को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुये प्रकट किया कि उनके मकान पर किसी तरह का व्यवसाय नहीं किया जा रहा था। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वाहन व सिलेण्डर जब्त किये गये हैं जो पूर्णतः गलत हैं। अतः प्रकरण को निरस्त फरमावें।

हमनें उभय पक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। मौके पर (मकान नं0 641 गली नं0 3, सीसी रोड, हरिओम कॉलोनी, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर) पर एक टिनशेडनुमा स्थान है जहॉ मुख्य दरवाजे के बीच एक रिफिलिंग मशीन जिसका एक सिरा पाईप के माध्यम से घरेलु गैस सिलेण्डर से जुडा पाया एवं दूसरा सिरा दरवाजे के बाहर सड़क पर खडी वैन जिसका नम्बर RJ-01-UB-1394 के एलपीजी टैंक के रिफिलिंग लिड से पाईप के माध्यम से जुडा पाया गया। रिफिलिंग मशीन व उक्त सिलेण्डर के पास ही तीन और घरेलु सिलेण्डर पाए गए। फर्द मौका रिपोर्ट, फर्द जप्ती के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा अपने स्थल पर घरेलू एल.पी.जी. का कीमतन वाहनों में गैस भरने का कार्य कर व्यवसायिक दुरूपयोग करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा न तो जांच दल के समक्ष कोई विधि सम्मत दस्तावेज प्रस्तुत किये व न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। अप्रार्थीगण का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3(1)(2) एवं (3) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 13.3 किग्रा एलपीजी, 01 इलेक्ट्रिक मशीन को राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त राजसात किये गये सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि जब्तशुदा वाहन वैन नम्बर RJ-01-UB-1394 का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य के किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबक़ि अप्रार्थी ने इस वाहन को सुपुर्दगीनामें पर दिए जाने का निवेदन किया है। अतः जब्तशुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्तशुदा वाहन द्वारा उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य के करने पर वैन नम्बर RJ-01-UB-1394 पर 50,000/–(अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण, मूल 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का अन्तिम निस्तारण उक्त आदेशानुसार किया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी सेफ अब्बास पुत्र सफदर हुसैन द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 08/2026, वास्ते जब्तशुदा वैन नम्बर RJ-01-UB-1394 को सुपुर्दगी पर छोड़े जाने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा पारित इस अन्तिम आदेश के परिपेक्ष्य में उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने, सारहीन हो जाने के कारण इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित किये जाते है। अतः सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो।

आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर अजमेर